जरिये ई-मेल

।।महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक:-गो./सर्त.सैल/मा.अ.प्र./2018/ 48415-56 दिनांक:- 18/12/18

परिपत्र

राज्य की कारागृहों से प्राप्त मासिक अर्द्ध शासकीय प्रतिवेदनों का अवलोकन करने पर पाया कि उसमें मुख्य रूप से कारागृहों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं/ सुरक्षा व्यवस्था तथा संचालन के संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किया जाता है, जिसका भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले मासिक अर्द्ध-शासकीय पत्रों में विशेष रूप से समावेश किया जाकर, इन्हें तुरन्त प्रभाव से अमल में लाया जावे :-

- समस्त कारागृहों पर बंदियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाकर चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जावे। कारागृहों पर निरन्तर मेडिकल कैम्प लगवाये जावें।
- कारागृहों में शौचालयों/स्नानघरों के दरवाजे लगवाने तथा अन्य मरम्मत कार्यो हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय कारागार, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- कारागृहों में निरूद्ध परस्पर विरोधी गैंग हेतु मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान तथा उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर यह सुनिश्चित करें कि कारागृह में औचक सघन तलाशी प्रक्रिया को सुदृढ़ कर, निषिद्ध वस्तुओं/मोबाईल की रोकथाम की जावे तथा सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाये जाने हेतु आवश्यक कारगर प्रयास करें।
- समस्त कारागृहों में योग/ध्यान/पीटी आदि नियमित रूप से करवाये जावे साथ ही इनके शिविर भी लगवाये जावें।
- समस्त मण्डलाधिकारी बंदियों को नियमानुसार दिये जाने वाले रेमिशन (परिहार) का विश्लेषण कर कार्यवाही करें।
- बंदियों को साक्षर बनाये जाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम/सांस्कृतिक कार्यक्रम/समाज उपयोगी शिविर नियमित रूप से लगवाये जावें, ताकि उन्हें मुख्य धारा की ओर अग्रसर किया जा सके, साथ ही लाईब्रेरी में पर्याप्त विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जावे।
- कारागृहों में संचालित उद्योगशालाओं हेतु बंदियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर प्रशिक्षण दिलवाया जाकर उद्योगशालाओं की स्थिति को और अधिक मजबूत करते हुये श्रम के अवसर बढ़ाये जावें।

- केन्द्रीय कारागृहों में संचालित उद्योगशालाओं में कार्य कर रहे बंदियों के मजदूरी का भुगतान नियमानुसार समय पर करवाये जाने की कार्यवाही करावें तथा बजट के अभाव में बजट आवंटन किये जाने बाबत मुख्यालय कारागार, जयपुर को अवगत करावें।
- मण्डलाधिकारियों के स्तर पर लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत 16 सी.सी.ए. जाँच को शीघ्र पूर्ण किया जावे।
- पेन्शन प्रकरण/ चयनित वेतनमान प्रकरण/ फिक्शेसन आदि कार्य समय पर नियमानुसार पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- कारागृहों में निर्माण कार्य की स्थिति के आधार पर विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्यो में मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक स्वयं अपने पर्यवेक्षण में वांछित कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाये।
- सर्दियों में बंदियों को नियमानुसार दिये जाने गर्म कपड़े/कम्बल के संबंध में मुख्यालय कारागार, जयपुर द्वारा जारी किये गये निर्देश की अक्षरशः पालना की जाकर इसे भी मासिक अर्द्ध-शासकीय पत्र में सम्मिलित किया जावे।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
1. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षकगण/उपाधीक्षकगण, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला/उच्च सुरक्षा कारागृह, राजस्थान।
4. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/ जोधपुर।
5. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर को वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर को वास्ते ई-मेल।
9. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर